| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | विप्रार्थी बाबुसिंह व भोपालसिंह द्वारा आवेदन धारा 10 एवं 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया नकल प्रार्थी वकील को दी गई पत्रावली दिनांक 05.05.17 को जबाव व बहस पेश हो।<br><br>[illegible] कलेक्टर, (S.D.O.) सिवाना | |
| 05.05.17 | पत्रावली आज पेश हुई। दोनो पक्षों के वकील उपस्थित। दरख्वास्त 10 व 11 सीपीसी पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत नकल न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.ख. सिवाना के प्रकरण 32/16 भोपालसिंह बनाम चिमनाराम वगैरह में मौका कमीशनर नियुक्त कर रिपोर्ट प्राप्ति पश्चात मौका कमीशनर रिपोर्ट अनुसार यथास्थिति के आदेश है जो विवादित भूमि के सीमा का विवाद है चूकि आराजी भूमि में सिविल न्यायालय से स्थगन है जिससे प्रकरण में कार्यवाही नही की जा सकती है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 की कार्यवाही ड्रोप की जाती है प्रार्थी सिविल न्यायायल के वाद निर्णय पश्चात आवेदन प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार हो । आदेश खुली अदालत में सुनाया गया।<br><br>[illegible] कलेक्टर, (S.D.O.) सिवाना | |